न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 59/2023 (जीसीएमएस नम्बर 2023/199)

1. आशाराम पुत्र धनरया,
2. कैलाश पुत्र धनस्या,
3. किलाण पुत्र रामसहाय, जाति मीना निवासी घूमणा तहसील सिकराय जिला दौसा राजस्थान।
4. कैलाशचन्द पुत्र हजारीलाल,
5. रमेश पुत्र नाथ्या, जाति मीना निवासी कालाखो तहसील बहरावण्डा जिला दौसा राजस्थान।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. भरतलाल पुत्र रामहेत,
2. मेघराज पुत्र रामहेत,
3. रामप्रसाद पुत्र रामहेत, समस्त जाति मीना निवासी घूमणा तहसील सिकराय जिला दौसा राजस्थान।
4. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार तहसील सिकराय जिला दौसा राज0।
5. तहसीलदार तहसील बहरावण्डा जिला दौसा राज0।

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा दिनांक 09.01.2023 प्रकरण संख्या 76/2022 अनुवानी भरतलाल वगै0 बनाम राजस्थान सरकार पर पारित किया गया।

उपस्थित–

1. **श्री सतीश कुमार पारीक, वकील अपीलान्ट**
2. **श्री योगेश जाखड, वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 की ओर से**
3. **श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 4 व 5 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः–18.09.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा के निर्णय दिनांक 09.01.2023 के खिलाफ प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ दिनांक 21.07.2023 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगायत 3 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी कराने इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 वाके घूमणा तहसील सिकराय जिला दौसा राज0 के स्थाई निवासी है। प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जेशुदा भूमी खसरा नम्बर 873 रकबा 2.0200 है0 वाके ग्राम कालाखो तहसील बहरावण्डा जिला दौसा में स्थित है। उक्त भूमि के पूर्व में सीमाज्ञान सीमा चिन्ह स्थापित थे लेकिन वर्षा एवं जंगली जानवरों ने उक्त सीमा चिन्हों को नष्ट कर दिया जिससे प्रार्थीगण को उक्त भूमि की जुताई बुवाई के समय परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थीगण उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाने चाहते है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.01.2023 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बहरावण्डा को वाके ग्राम कालाखो तहसील बहरावण्डा में स्थित प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 873 रकबा 2.0200 है0 पर पत्थरगढी कायम किए जाने के अपीलाधीन आदेश पारित किये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.01.2023 से व्यथित होकर अपीलान्टस श्री आशाराम पुत्र धनस्या वगै0 द्वारा यह

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा दिनांक 09.01.2023 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 4 को ही पक्षकार बनाकर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का पेश किया गया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानून के विपरित तरीके से अपीलान्ट को आवश्यक पक्षकार होते हुए भी पक्षकार बनाये बिना तथा कानूनी प्रक्रिया की पूर्ण पालना किये बिना ही विधि विरूद्ध, मनमाने तरीके से अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.01.2023 पारित किया गया है जो विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय है। अधिवक्ता अपीलान्ट ने यह भी कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा जानबूझकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि अपीलान्ट खसरा नम्बर 865, 867 व 872 के खातेदार व काबिज काश्तकार है, जो पडौसी खातेदार होने के कारण आवश्यक पक्षकार थे उसके उपरान्त भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाये रेस्पो0 नम्बर 1 लगायत 3 को अनुचित लाभ पहुंचाने की गरज से व भ्रष्टाचारपूर्ण तरीके से अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना ही दिनांक 09.01.2023 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्थरगढी के आदेश पारित कर दिये। उन्होने आगे यह भी कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 अब रेस्पोडेन्ट संख्या 5 से मिलकर पुलिस इमदाद लेकर अपीलाधीन निर्णय की पालना करवाने पर आमादा है तथा मौके पर लडाई झगडे की सूरत पैदा कर अपीलान्ट की भूमि से अपीलान्ट को जबरन मौके से बेदखल करने को आमादा है। अपीलार्थी प्रकरण में प्रभावित पक्षकार होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान करें एवं अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही बनाया गया जिससे अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी पूर्व में कतई नहीं थी। दिनांक 11.07.2023 को रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 3 ने अपीलान्ट को धमकी दी कि अब हम तुम्हें तुम्हारी भूमि में फसल नहीं बोने देंगे। हमने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय से फैसला करवा लिया है। तब अपीलान्ट ने दिनांक 12.07.2023 को अधीनस्थ न्यायालय में तलाश करवाया व नकल के लिये आवेदन करवाया जिस पर नकल तैयार होकर दिनांक 17.07.2023 को मिली। फिर दौसा आकर वकील नियुक्त कर अपील तैयार करवाकर जानकारी से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की गई है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम भी स्वीकार फरमाया जावें एवं अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.01.2023 को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

6. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगायत 3 ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 आराजी खसरा नम्बर 873 रकबा 2.0200 है0 वाके ग्राम कालाखो तहसील बहरावण्डा जिला दौसा में स्थित है, के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा उक्त आराजी का पूर्व में सीमाज्ञान होकर सीमा चिन्ह स्थापित थे लेकिन वर्षा एवं जंगली जानवरों ने उक्त सीमा चिन्हों को नष्ट कर दिया। जिससे रेस्पोडेन्ट को उक्त भूमि के जुताई बुवाई के समय काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। जिस कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा अपनी आराजी एवं फसल की जानवरों से सुरक्षा हेतु पत्थरगढी हेतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

अधिकारी सिकराय जिला दौसा के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी प्रस्तुत किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर एवं प्रकरण का विधिक तौर पर परीक्षण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.01.2023 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। उन्होने यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार ही केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की खातेदारी भूमि की ही पत्थरगढी करवाने हेतु आदेश दिया गया है जिसमें अन्य किसी भी पडौसी खातेदारी को कोई आपत्ति नहीं है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा उचित एवं विधिसम्यक है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार ही खातेदारी भूमि की ही पत्थरगढी करवाने हेतु आदेश दिया गया है जिसमें अन्य किसी पडौसी खातेदार को कोई आपत्ति नहीं है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे विदित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा द्वारा आराजी खसरा नम्बर 873 की पत्थरगढी बाबत अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.01.2023 पारित किया गया है जबकि अपीलार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 865, 867, 872 है जो कि पडौस में सीमाजोड पर स्थित है। ऐसे में अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी स्वीकर किया जाता है। अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें विलम्ब से प्रस्तुत अपील/प्रार्थना पत्रादि के विलम्ब को कण्डोन किया जाता रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम व शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम भी स्वीकार किया जाता है तथा विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। चूँकि अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के मध्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय के समक्ष एक दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विचाराधीन है और अपीलार्थीगण पडौसी खातेदार काश्ताकार है जिन्हे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही बनाया गया है जिससे अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने से वंचित रहे है। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायायलय को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिकराय जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.01.2023 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारान को सुनवाई का एवं साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान कर विवादित भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद के आलोक में समरी जॉच पश्चात प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति.संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय दिनांक 18.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर